"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा-599/पंग्राविवि/22/2013/682.—छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 सहपठित धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है तथा जो 31 अगस्त, 2013 से प्रभावशील होगा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिन का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा.

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव जो विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. S0-41) महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 33 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) पंचायत सेवा के सभी कर्मचारियों के लिये, अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष होगी."

2. उपरोक्त संशोधन 31 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक/पंचा-599/पंग्राविवि/22/2013/683.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा-599/पंग्राविवि/22/2013/682 दिनांक 29-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th August 2013

NOTIFICATION

No./P.-599/PGVV/22/2013/682.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Panchayat Seva (Bharti Tatha Seva Ki Samanya Sharte) Niyam, 1999 which the State Government proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 70 read with Section 95 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and which shall be effective from 31st August, 2013, is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Joint Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, (Room No. S0-41) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (1) of Rule 33, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Age of superannuation shall be 62 years for all the employees of panchayat services."

2. The above amendment shall be deemed to have come into force with effect from 31st August, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.